न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी : ओ0पी0बिश्नोई आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 03/2020

अपीलाण्ट्स	बनाम	रेस्पोन्डेन्ट
1. श्रीमती जसकी पत्नि गोपाराम लोहार निवासी– कापरडा तहसील बिलाडा। 2. चन्दकी पुत्री स्व0 गोपाराम पत्नी बक्साराम निवासी– मेघवालों का बास, लाई जिला नागौर। 3. किलकी पुत्री स्व0 गोपाराम पत्नी बाबूलाल निवासी– गुजरावास तहसील बिलाडा।		1. बाबूलाल 2. बचनाराम 3. गणपत पुत्रान भंवराराम लोहार निवासीगण– कापरडा तहसील बिलाडा। 4. सरपंच ग्राम पंचायत कापरडा तहसील बिलाडा जोधपुर।

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध आदेश दिनांक 31.10.2019 जो राजस्व अपील संख्या 06/2019 अनवान जसकी वगैराह बनाम बाबूलाल वगैराह में उपखण्ड अधिकारी, बिलाडा द्वारा में पारित किया गया ।

उपस्थिति:–

1– श्री जस्साराम चवेल, बी0 एस0 भवरिया, अधिवक्ता अपीलान्टस की ओर से।
2– श्री गणपताल चौधरी, अधिवक्ता, रेस्पो0 संख्या 1 व 3 की ओर से
4– रेस्पो0 संख्या 4 बावजूद तामीली के अनुपस्थित।

निर्णय

दिनांक 8–08–2022

उक्त अपील का संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्टस के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बिलाडा के समक्ष धारा 75 राज0 भू राजस्व अधिनियम के तहत प्रथम अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम कापरडा तहसील बिलाडा में स्थित खसरा संख्या 225 रकबा 09.15 बीघा भूमि आई हुई है। जिसकी खातेदारी गोपाराम पुत्र माधाराम की थी। गोपाराम के उत्तराधिकारी उनकी पत्नि जसकी तथा दो पुत्रिया चन्दकी, किलकी है। गोपाराम के देहान्त उपरान्त हिन्दू उत्तराधिकारी अधिनियम के तहत उनकी पत्नि जसकी तथा दो पुत्रिया चन्दकी, किलकी के नाम दर्ज होनी चाहिये। परन्तु फौतैदगी नामा0 संख्या 641 में ग्राम पंचायत के द्वारा उनके वारिसान के स्थान पर भंवरलाल पुत्र दीनाराम का नाम दर्ज कर दिया। जिसके विरूद्ध प्रस्तुत हुई प्रथम अपील में अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा समक्ष दोनों पक्षों की बहस सुनने के उपरान्त अपने आदेश दिनांक 31.10.2019 को अपील को अस्वीकार कर दी। अधिनस्थ न्यायालय के उक्त अपीलाधीन आदेश दिनांक 31.10.2019 के विरूद्ध अपीलान्टस के द्वारा यह द्वितीय अपील पेश की है।

दौरान सुनवाई अपीलार्थीगण के अधिवक्ता ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए यह निवेदन किया कि अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलान्टस की अपील को म्याद बाहर होना मानते हुए खारिज किया है जबकि प्रथम अपील के संलग्न देरी को क्षमा करने हेतु प्रार्थना पत्र में उचित कारण दर्शाये थे। जिस पर

गोपाराम की होना स्वीकार किया है, एवं वर्तमान खातेदार भंवरराराम गोपाराम का जायन्दा पुत्र नहीं है। इसके अतिरिक्त रेस्पोडेन्टस के द्वारा प्रस्तुत जवाब में भी यह सभी तथ्य स्वीकार किये थे। ऐसे में यह तथ्य कि मूल खातेदार गोपाराम थे, अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष आने के बावजूद भी उन पर कोई गौर नहीं किया गया और अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलान्टस की प्रथम अपील को खारिज कर दिया। जिसे उचित नहीं ठहराया जा सकता है।

अपीलार्थीगण के अधिवक्ता ने यह भी निवेदन किया कि अधिनस्थ न्यायालय ने आलौच्य आदेश में उक्त खसरे की भूमि में से कुछ हिस्सा भूतल परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार के पक्ष में अवाप्त होने का हवाला दिया है जबकि शेष हिस्सा अपीलार्थीगण का आज भी मौके पर मौजूद है। गलत नामा0 दर्ज किये जाने से अपीलार्थी को अपने हिस्से से वंचित होना पडा है। इसके अतिरिक्त अपीलाधीन आदेश में भूमि के बेचान होने का उल्लेख करते हुए नियमित वाद से निस्तारण होने का हवाला दिया है जो उचित नहीं है क्योंकि अपीलार्थीगण के द्वारा अपने पूर्व स्व0 गोपाराम के देहान्त उपरान्त दर्ज नामान्तरकरण को चुनौती दी है, जिस पर सुनवाई का क्षेत्राधिकार अधिनस्थ न्यायालय को रहा है। अपीलार्थीगण के द्वारा हुकमाराम का हिस्सा नहीं मांगा गया था। प्रथम अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को क्षमा करने हेतु उचित व पर्याप्त कारण अधिनस्थ न्यायालय को निवेदन किये थे। उपरोक्त सभी तथ्य जो अपीलार्थीगण के पक्ष में दर्शाये गये थे, की अनदेखी करते हुए अपीलार्थीगण की अपील को स्वीकार नहीं कर खारिज कर दिया गया। अतः अधिनस्थ न्यायालय के आदेश को अपास्त किया जावे एवं अपीलार्थीगण के पूर्वज स्व. गोपाराम के उक्त खसरान संख्या 225 में आई हुई खातेदारी भूमि का फौतेदगी नामा0 में गलत इन्द्राज को निरस्त कर अपीलार्थीगण के नाम नामा0 भरे जाने का आदेश प्रदान करावें।

प्रत्युतर में रेस्पो0 संख्या 1 ता 3 की ओर से उपस्थित अधिवक्ता ने यह कथन किया कि अपीलान्टस की ओर से प्रथम अपीलीय न्यायालय के समक्ष अपीलाधीन नामा0 संख्या 641 के स्वीकृत होने के लगभग 43 वर्ष पश्चात अपील पेश की थी जो पूर्णतया म्याद बाहर थी। अपीलान्टस की ओर से प्रस्तुत देरी का क्षमा किये जाने बाबत प्रार्थना पत्र में भी ऐसे कोई कारण उल्लेखित नहीं किये गये जिसके आधार पर उनका प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपील को अन्दर म्याद माना जा सके। रेस्पो0 अधिवक्ता के द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष उक्त प्रार्थना पत्र का जवाब एवं प्रारम्भिक आपत्तिया भी पेश की थी। ऐसे में प्रस्तुत अपील पर गुणावगुण पर सुनवाई नहीं की जा सकती थी। अपीलान्टस की ओर से खातेदार गोपाराम के उत्तराधिकारी होने का भी कोई साक्ष्य पेश नहीं किया था, ऐसे में अपीलान्टस को नामा0 दर्ज/स्वीकृत करने के समय सुनवाई व नोटिस का अवसर देने की कोई आवश्यकता नहीं थी। इसके अतिरिक्त अपीलान्टस ग्राम कापरडा में निवास नहीं कर अलग–अलग स्थानों पर निवास करते थे।

रेस्पो0 संख्या 1 ता 3 के अधिवक्ता ने यह कथन किया कि रेस्पो0 ग्राम कापरडा में ही निवास करते है तथा गोपाराम के जीवनकाल से ही अपीलाधीन भूमि पर काबिज

1/2 हिस्सा था, हुकमाराम ने अपने 1/2 हिस्से की सम्पूर्ण भूमि जरिये रजिस्ट्री दिनाक 29.3.10 को रेस्पो0 संख्या 1 से 3 को बेचान कर दिया और उसी आधार पर राजस्व रेकर्ड में रेस्पो0 के नाम का इन्द्राज किया गया था। इस आधार पर भी रजिस्टर्ड बेचान को निरस्त कराये बिना नामा0 संख्या 641 को निरस्त नहीं किया जा सकता है। अपीलान्टस का वादग्रस्त भूमि से कोई सम्बन्ध नहीं है। अपीलान्टस को अपीलाधीन नामा0 की जानकारी दिनांक 21.6.19 को होना बताया है लेकिन यह नहीं बताया कि उसे जमाबन्दी की नकल लेने की क्या आवश्यकता पडी। इसके अतिरिक्त इस प्रकार के हक–अधिकार के सम्बन्ध में नामा0 कार्यवाही के जरिये कोई अधिकार हासिल नहीं किये जा सकते है, इस हेतु राजस्व न्यायालय में नियमित वाद दायर करने की कार्यवाही कर और न्यायालय के निर्णय अनुसार ही हक–हकूक प्राप्त किये जा सकते है। रेस्पो0 की ओर से अपने जवाब प्रार्थना पत्र में उठाये गये इन सब तथ्यो/साक्ष्यों पर मनन करने के उपरान्त ही अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलान्टस की अपील को अस्वीकार किया है।

रेस्पो0 के अधिवक्ता के द्वारा फार्म नं. 3 के साथ दस्तावेजों की छायाप्रतियॉ प्रस्तुत करते हुए अवगत कराया कि अपीलान्टस की ओर से इसी वादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में अपने हक–अधिकारों की प्राप्ति हेतु अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष धारा 88, 188 राज0 काश्तकारी अधिनियम के तहत एक राजस्व वाद संख्या 44/2022 चन्दकी बनाम बाबूलाल वगैराह प्रस्तुत कर रखा है जो वर्तमान में विचाराधीन है जिसमें तारीख पेशी 20.7.2022 नियत हो रखी है, उक्त राजस्व वाद के जरिये अपीलान्टस अपना हक–अधिकार हासिल करने की कार्यवाही कर रही है ऐसे में नामा0 अपील के जरिये किसी प्रकार का आदेश पारित किया जाना न्यायोचित नहीं होगा। अतः उपरोक्त तथ्यों के आधार पर अपीलाधीन आदेश दिनांक 31.10.2019 को बहाल रखा जावें एवं अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत द्वितीय अपील को खारिज किया जावें।

हमने उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं उसमे उपलब्ध दस्तावेजात, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये अपीलाधीन निर्णय आदि का अवलोकन एवं अध्ययन किया। जिससे यह पाया गया कि अपीलाधीन नामा0 संख्या 641 के कॉलम संख्या 11 में ''गोपीया फौत हो गया, गोपीया के पुत्र न होने से दीनीया के पुत्र के नाम दाखिल खारिज किया गया'' अंकित किया गया है। इस नामान्तरकरण के अवलोकन से यह प्रतिपादित होता है कि गोपीया के पत्नि और बेटी तो है पर बेटा नहीं है व बेटा न होने के कारण पटवारी हल्का के द्वारा गोपीया के देहान्त उपरान्त सम्पूर्ण भूमि गोपीया के भाई दीनीया के बेटे भंवरिया के नाम किये जाने हेतु प्रस्तावित की है जोकि विधि विरूद्ध है।

इस प्रकार खातेदार गोपीया के प्रथम श्रेणी के वारिसान को दरकिनार किया जाना व लोहार जाति की अनपढ महिला को खातेदारी अधिकारों से वंचित रखना विधि द्वारा स्थापित सिद्धान्तों व मानवीय मूल्यों के विरूद्ध है। यह प्रकरण विरले प्रकरणों की श्रेणी में

"Rajasthan Land Revenue Act, 1956 – Secs. 75 & 76- Appeal against order of mutation- Appeal filed after 24 years-Delay condoned by Addl District Collector & B.O.R.- Deceased 'CS' left behind him the widow, four daughters & two sons petitioner & respondent No.7- Court below held that respondents who are the legal hairs are entitled to share in the agricultural land-Land mutated only in the name of petitioner & respondent No. 7- Held, Courts below have not committed any illegality.'

उक्त अपील प्रकरण में तत्कालीन सरपंच, ग्राम पंचायत कापरडा के द्वारा अपीलाधीन नामा0 स्वीकृत करने से पूर्व भूमि के खातेदार गोपीया के विधिक वारिसानों को नोटिस, सुनवाई व जॉच नहीं की जाकर अविधिक नामान्तरकरण पारित किया जाना पाया गया है। तत्कालीन सरपंच, ग्राम पंचायत कापरडा की उक्त कार्यवाही से अपीलान्ट को अपनी भूमि की खातेदारी से वंचित होना पडा है। श्री गोपीया की पत्नि व अन्य वारिसान के जीवित होते हुए ग्राम पंचायत द्वारा जानबूझकर उक्तानुसार की गई नामा0 की पक्षपातपूर्ण कार्यवाही प्रारम्भ से ही शून्य है एतएवं प्रकरण की गंभीरता व गुणावगुण के मध्यनजर अपील अन्दर म्याद शुमार की जाती है तथा उपखण्ड अधिकारी, बिलाडा के द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 31.10.2019 को निरस्त करते हुए प्रकरण तहसीलदार, बिलाडा को निम्न निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाकर उचित प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त समस्त तथ्यों एवं दस्तावेजात का विवेचन विश्लेषण करने के उपरान्त अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बिलाडा के द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 31.10.2019 को निरस्त कर प्रकरण तहसीलदार, बिलाडा को प्रतिप्रेषित कर उन्हें निर्देशित किया जाता है कि वे स्व0 गोपाराम के विधिक वारिसान की जॉच कर, विधिवत सुनवाई करने के उपरान्त नये सिरे से नियमानुसार नामान्तरकरण की कार्यवाही करें। निर्णय आज दिनांक 08 अगस्त, 2022 को सरे इजलास सुनाया गया।

(ओ0 पी0 बिश्नोई)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,
जोधपुर